न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 249/2024 निर्णय दिनांकः– 29-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/297)

1. तुरेज खां उर्फ तुरेजखां पुत्र मोहम्मद बक्श जाति मुसलमान निवासी 17 के. वाई.डी. तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–10–2013
उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू।

उपस्थितिः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू के आदेश दिना॰क 18–10–2013 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा द्वारा चक 18 बी एस डी के मुरब्बा नम्बर 7/01 तादादी 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न किय थे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 18.02.2010 को सक्षम कराकर के आंवटन कमेटी द्वारा 7,70. 665 रू की 20 प्रतिशत 1,54,333 का चालान 30.03.2010 को जारी किया गया है प्ररन्तु अपीलाट को कोई चालान किसी अन्य द्वारा लिया गया है जिसकी कोई जानकारी नही हुई जिस कारण से 18.10.2013 तक चालान राशी जमा करवाने से अमर मजबुरी रही। दिनांक 17.06.2009 को भुमि की तस्दीक पेश की तब तक कोई जानकारी चालान जारी करने की नहीं दी गई और नोटिस भी बिना प्रक्रिया के दिनांक 26.03.2010 विधिवत अपीलाट पर विधिवत तामील नही हुआ बिना किसी सुचना के 18.10.2013 को आंवटन की विधिवत सुचना व चालान जारी बाबत कार्यवाही से अपीलांट को वचित रखा गया है। 6 माह के अन्दर राशि जमा नही कराने पर आधार बनाकर 19.02.2010 का आंवटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध अनियमित प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध व अधिकार क्षेत्र बिना सक्षम अधिकारी के पारित आदेश स्वत शुन्य व निष्प्रभावी व निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण खारिज किया गया ह। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नही दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 20 प्रतिशत राशि जमा नही होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुताष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर विशेष आवंटन चक 18 बी एस डी के मुरब्बा नम्बर 7/01 की 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि के लिए आवेदन प्रस्तत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवंटन योग्य भूमि हेतु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कुल तीन आवेदन प्राप्त हुए। जिस पर अपीलांट तुरेज खां पुत्र मोहम्मद बक्श बीकानेर का निवासी होने के कारण उसकी प्रथम वरियता तय की गई तथा उक्त वादग्रस्त भूमि की कुल राशि 770665 रू. तय की गई। तत्पश्चात आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि रूपये 154133/– जमा करवाने हेतु आदेशिका में लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी ओदशिका दिनांक 18–10–2013 को में यह कहते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई है। अतः प्रार्थी/अपीलांट की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति मे यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पुर्णतया सही चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेरास

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर